प्राकृतिक खेती के संवर्धन पर मप्र राज्य नीति आयोग ने किया संवाद

मध्यप्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी बनाने के लिए उत्पादों की करें ब्रांडिंग

भोपाल(काप्र)।

मध्यप्रदेश को प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनाने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाना चाहिए। महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर कम्युनिटी मॉडल अपनाए जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती के लिए मानकों और प्रमाणन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए।

उक्त विचार विशेषज्ञों ने आज यहां मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा जलवायु सहनशीलता और सतत् कृषि के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा- मार्ग, चुनौतियां और नीति समर्थन विषय पर आयोजित संवाद में व्यक्त किए। संवाद में कृषि, बागवानी और सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, महिला किसानों, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

सीईओ, राज्य नीति आयोग ऋषि गर्ग ने प्राकृतिक खेती के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने में किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। आंध्रप्रदेश के उप निदेशक हॉर्टिकल्चर श्रीनिवासुलु ने सामुदायिक प्राकृतिक खेती के अनुभव साझा करते हुए कहा कि कम लागत और स्थानीय संसाधनों का उपयोग प्राकृतिक खेती को किसानों के लिए आकर्षक बनाता है। अतिरिक्त सचिव बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्रीमती प्रीति मैथिल ने बताया कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद उपभोक्ताओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए बेहतर नीति समर्थन और बाजार संपर्क की आवश्यकता है। जी. प्रकाश राव ने प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक आधार, जैव विविधता में सुधार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।

पद्मश्री डॉ. सुभाष पालेकर ने जैविक और प्राकृतिक खेती के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और प्राकृतिक खेती को अपनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के सुझाव दिए। उन्होंने शून्य लागत प्राकृतिक खेती की तकनीकों पर जोर दिया। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने विशेषज्ञों से संवाद किया।

जन सेवा और विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताः कृष्णा

भोपाल(काप्र)।

जनता की सेवा और जनहित में जरूरी विकास कार्य कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-53 में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि-पूजन अवसर पर यह बात कही।

उन्होंने दानिश नगर में 27 लाख 53 हजार रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड का लोकार्पण किया। हनुमान नगर में 12 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड और 5 लाख 30 हजार की लागत से बनने वाली बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। गगन विहार कॉलोनी सेंट राफेल स्कूल के पास 14 लाख से बनने वाली सीसी रोड के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। शिवनगर जाटखेड़ी में नाली निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। बाबा साहेब अंबेडकर पार्क जाटखेड़ी में 18 लाख से बनने वाले सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। संजय नगर जाटखेड़ी के संत शिरोमणि रविदास महाराज परिसर में बाउंड्री वॉल का भूमि-पूजन किया। पार्क एवेन्यू में 9 लाख रुपये से बनने वाली सीसी रोड का भूमि-पूजन किया। शंकराचार्य नगर में 6 लाख की लागत से बनने वाली सीसी रोड और नाली निर्माण के कार्य का भूमि-पूजन किया। गायत्री विहार फेज-1 बागमुगलिया में पार्क का लोकार्पण किया। इस दौरान पार्षद प्रताप वारे, शीला पाटीदार, जितेन्द्र शुक्ला, रामबाबू पाटीदार, धर्मेंद्र पाटीदार, रमाकांत मालवीय सहित स्थानीय जन मौजूद रहे।

मुख्य सचिव से आईपीएस अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की

भोपाल(काप्र)।

गुरूवार को मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन से मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत वर्ष 2022 एवं 2023 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की।

मुख्य सचिव श्री जैन ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के बाद उनसे भविष्य में पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने की योजनाएं पूछीं। श्री जैन ने आमजन की शासन से अपेक्षाएं और अधिकारियों द्वारा ईमानदारी से उन्हें पूर्ण किए जाने, नई तकनीकों से हमेशा अपडेट रहने के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया। मुख्य सचिव ने सभी पुलिस अधिकारियों को एक अच्छे और लगनशील अधिकारी के रूप में अलग पहचान स्थापित करने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, मप्र पुलिस अकादमी मलय जैन एवं कोर्स समन्वयक अनिल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।

20 हजार से अधिक गैस पीड़ितों के बनाए गए आयुष्मान कार्ड

भोपाल (काप्र)। राज्य सरकार द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को आयुष्मान 'निरामयम' मध्यप्रदेश योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसमें गैस पीड़ितों एवं उनके बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। 28 नवम्बर तक 20 हजार 27 गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधीन संचालित 6 अस्पतालों एवं 9 औषधालयों में सभी प्रकार के उपचार एवं आवश्यकतानुसार सुविधाएँ निःशुल्क दी जा रही हैं। साथ ही आयुष्मान भारत 'निरामयम' मध्यप्रदेश योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी अनुबंधित अस्पतालों में भी गैस पीड़ितों को उपचार सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष प्रकरणों में इस योजना में निर्धारित पैकेज के अतिरिक्त इलाज पर खर्च होने पर संबंधित अस्पताल को उसकी प्रतिपूर्ति गैस राहत विभाग द्वारा की जाती है। गैस पीड़ित मरीज एवं उनके बच्चों को किडनी, लीवर ट्रॉन्सप्लांट एवं अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये विशेष प्रकरण मानते हुए मरीजों को आवश्यकतानुसार इलाज की सुविधा भी दी जा रही है।

भोपाल गैस पीड़ित मरीजों एवं उनके बच्चों को कैंसर के उपचार के लिये गैस राहत विभाग द्वारा 3 निजी अस्पतालों एवं एम्स भोपाल के साथ अनुबंध भी किया गया है।

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय ने किया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था का किया निरीक्षण

भोपाल (काप्र)। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने सीहोर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, संकल्प वृद्धाश्रम एवं नशा मुक्ति केन्द्र का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने पुनर्वास संस्थान द्वारा दिव्यांगजन को दी जा रही सुविधाओं के विषय में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने एपिड योजनान्तर्गत शिविर आयोजित करने तथा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्रीमती वायंगणकर ने नशामुक्ति केन्द्र में भर्ती नशा मरीजों से भी चर्चा की। इस अवसर पर उप संचालक सामाजिक न्याय महेश कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर से सम्मानित होने पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित होने पर प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है। यह सम्मान प्रदेश की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए गए नवाचारों का प्रतिफल है। उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को विशेष रूप से शुभकामनाएँ दी हैं।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

समन्वय से होगा...

की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी और मध्यप्रदेश का आपसी सहयोग औद्योगिक क्रांति के नए द्वार खोलने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जर्मनी की बवेरिया स्टेट के चांसलर डॉ. हैरमेन के साथ विस्तार से बात हुई है। मध्यप्रदेश में जर्मन एक्सपर्ट्स आएंगे, साथ ही टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध करवाएंगे। दोनों देश आपसी समन्वय से मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि जर्मनी का हमारे देश से पुराना संबंध रहा है। दुनिया में यह सभ्यता अलग ढंग से जानी जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव एवं औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल का जर्मनी के म्यूनिख पहुंचने पर भारत के कौंसलेट जनरल शत्रुघ्न सिन्हा और भारतीय संघ के अध्यक्ष राणा हरगोविंद सिंह एवं अन्य भारतवंशियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉ. यादव ने म्यूनिख स्थित बवेरिया स्टेट चांसलरी सरकार राजनैतिक नेतृत्व के साथ संवाद किया। जर्मनी और मध्यप्रदेश सरकार के समन्वय से रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8.50 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकनीकी दक्षता के साथ जिस रूप में दुनिया के सामने उभरा वह आदर्श है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में काम के अनेक अवसर तो हैं, परंतु भाषाई चुनौती भी है। इसको दूर करने के लिए हम मध्यप्रदेश में लैंग्वेंज इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बना रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसरों के लिए भाषा चुनौती नहीं बनें और मध्यप्रदेश तथा जर्मनी के अधिकारियों के मध्य समन्वय के साथ भाषाई सहजता से काम हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी के टेक्नीकल स्टाफ के माध्यम से इंजीनियरिंग, पॉलेटेक्निक, आईटीआई जैसे टेक्निकल क्षेत्र में हमारे उद्योगपति लाभ ले सकेंगे। खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जर्मन टेक्नोलॉजी उन्नत स्तर की है। हम जानते हैं इसमें कई चुनौतियां भी सामने आएंगी, एक दूसरे के तकनीकी अनुभवों को साझा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस विदेशी दौरे के बाद भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इसमें हमने जर्मनी के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया है। दोनों राज्यों में अधिकारियों को एक दूसरे राज्य में भेजने में प्रशासनिक लेवल पर जो कठिनाईयां आती हैं, उनको दूर किया जाएगा। इससे व्यापार और व्यवसाय की राह में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। डॉ. यादव ने उम्मीद जताई कि इस वार्ता से सहयोगात्मक विकास, तकनीकी उन्नति और आर्थिक समृद्धि की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सहयोग का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा।

अल्पसंख्यकों के जीवन...

में दिया गया। देवी काली का मुकुट जेशोरेश्वरी मंदिर से चोरी हो गया। 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की ऐसी ही घटनाएं तेज हो गई हैं। मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने बांग्लादेश से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आव्हान किया है। अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने आज पहले बांग्लादेश की स्थिति पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी, शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की संभावना है।

जनता के मुद्दे...

मिली है। उन्होंने कहा कि हमें संसद में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति मिली है। प्रियंका जी चीजों को अच्छी तरह से समझती हैं और जनता के मुद्दों को उठाती हैं। उनके संसद में आने से हमारी पार्टी, जनता और खासकर देश की महिलाओं को फायदा होगा।

बदलते परिदृश्य में...

तैयार रहना है। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा नए आयाम हासिल कर रहा है जिसे समझने और प्रबंधित करने की जरूरत है। गहन शोध पर आधारित अद्यतन ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीकों को लागू करने की जरूरत है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज ने भारत और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के अधिकारियों और नागरिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा शिक्षित करने में सराहनीय योगदान दिया है। पिछले सात दशकों में इसने मध्यम स्तर के अधिकारियों को पेशेवर रूप से तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का सभी सम्मान करते हैं। सशस्त्र बल देश की सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सबसे आगे हैं। राष्ट्रीय हितों की निरंतर रक्षा करने के लिए राष्ट्र को रक्षा बलों पर गर्व है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि यह अच्छी बात है कि महिला अधिकारी अब तीनों सेनाओं में विभिन्न इकाइयों की कमान संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती ताकत और भूमिका सभी के लिए, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए उत्साहजनक और प्रेरणादायक है। उन्होंने सशस्त्र बलों में अधिक से अधिक महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई, जहां वे असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकेंगी और अज्ञात क्षेत्रों में नई जमीन हासिल कर सकेंगी। उन्होंने व्रिवास व्यक्त किया कि यह पाठ्यक्रम छात्र अधिकारियों को जिम्मेदारियों के लिए तैयार करेगा तथा ऐसे रणनीतिकार बनाएगा जो जटिल परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपट सकें।

उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मिलेगा अवॉर्ड

भोपाल। केन्द्रीय सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में विकासशील देशों में सांख्यिकी के सिद्धांतों और अभ्यास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सांख्यिकीविदों को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा अवॉर्ड दिया जायेगा। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन से नामांकन चाहा गया है। आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों से 5 दिसम्बर, 2024 तक ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी चाही है, जिन्होंने सांख्यिकी के सिद्धांतों और अभ्यास में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इस बारे में विस्तृत जानकारी भारतीय सांख्यिकी संगठन की वेबसाइट से ली जा सकती है।

जन्म तिथि संशोधन सूचना

मैं, चंदा तुमराम (CHANDA TUMRAM) पत्नी स्व. श्री एच.एल. तुमराम निवासी- जे. 478 कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल (म.प्र.) पिन कोड नं 4622003 यह कि मेरा नाम चंदा तुमराम (CHANDA TUMRAM) पत्नी स्व. श्री एच. एल. तुमराम है जो कि सही एवं सत्य हैं। एवं मेरी सही जन्मतिथि 22/05/1952 जो कि मेरे पति व श्री एच.एल. तुमराम के पेंशन आर्डर शीट मे अंकित है परन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड (आ. नं 2026 36809810) में मेरी जन्मतिथि 24/09/1951 अंकित है जो कि गलत है। मेरी सही जन्मतिथि 22/05/1952 ही है। मैं अपने आधार कार्ड (आ. नं 2026 36809810) में अपनी सही जन्मतिथि दर्ज/अंकित करने हेतु सूचना प्रकाशित है।

गलत जन्मतिथि 22/9/1951 — सही जन्मतिथि 22/05/195

चंदा तुमराम (CHANDA TUMRAM)

2709

पश्चिम मध्य रेल

पत्रांक भो/एच/ईओआई/पैथोलोजी जांच — कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, भोपाल दिनांक- 25.11.2024

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेल चिकित्सालय निशातपुरा, भोपाल के भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल एवं हैल्थ यूनिट हबीबगंज के मरीजों के लिये सीजीएचएस दरों पर पैथोलोजी जांच केन्द्रों से पैथोलोजी जांच हेतु रुचि की अभिव्यक्ति EOI आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	EOI जमा एवं खुलने की दिनांक एवं समय
1	मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल एवं हैल्थ यूनिट हबीबगंज के मरीजों के लिए सीजीएचएस दरों पर पैथोलोजी जांच केंद्रों से पैथोलोजी जांच हेतु रुचि की अभिव्यक्ति EOI आमंत्रित किये जाते हैं	02 वर्ष (कार्य प्रारंभ होने की तिथि से	EOI जमा करने का दिनांक 16.12.2024 समय 13.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.30 बजे

नियम एवं शर्तें उपलब्ध हैं:- 1.किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेल चिकित्सालय निशातपुरा/भोपाल से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। Tele Phone no. 7701092522. 2. रेलवे की वेबसाइट https://wcr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,4,1621 से प्राप्त एवं डाउनलोड की जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरी करने वाले एवं विद्युत लाइसेन्स धारी प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से निर्धारित प्रपत्र पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा सूचना क्र.:** डब्ल्यूसीआर/सीआरडब्ल्यूएस/बीपीएल/ईएल/टी/2024/11, दिनांकः 26.11.2024, **कार्य का नामः** वर्ष 2024-25 हेतु सी.आर.डब्ल्यू.एस/भोपाल के नॉन एसी एवं एसी कोचों में की जाने वाली विद्युतीय कार्यों की आउटसोर्सिंग का कार्य, **कार्य की लागतः** ₹ 66,31,726.90/-, **निविदा फार्म का मूल्यः** 0.00, **धरोहर राशिः** ₹ 1,32,600.00, **कार्य पूर्ण करने की अवधिः** 12 माह, **निविदा जमा करने की तिथिः** 27.12.2024 15.00 बजे तक, **निविदा खुलने की तिथिः** 27.12.2024 15.00 बजे के उपरान्त। **नोटः** निविदा फार्म व निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी भारत सरकार की वैबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है एवं निविदा सूचना मुख्य कारखाना प्रबन्धक विद्युत शाखा के सूचना पटल पर उपलब्ध है।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक सडिपुका/निशातपुरा, पमरे, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान- एक कदम स्वच्छता की ओर

NCC DIRECTORATE (MP&CG), BHOPAL
DISCIPLINE AND VIGILANCE OFFICERS HIRING

DGNCC, MOD invites applications from Retired Armed Forces and Civilian Officers for appointment on contractual basis as

CONTRACTUAL DISCIPLINE AND VIGILANCE OFFICER (CDVO) FOR NCC DTE (MP&CG), BHOPAL

For Details visit:
https://nis.bisag-n.gov.in/nis/downloads-public
Last Date for Submission of Applications: 13 DEC 2024

Contact Details
Additional Director (Pers)
Tele: 0755-2464227
Email: adpers-mpcgdte@nccindia.nic.in

जी-19578/24

मध्य रेल

अधिसूचन

अधिसूचना संख्या NGP / P-841 / Rectt. / Clinical Psychologist दिनांक 26.11.2024 के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के Re-engagement द्वारा मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के निम्नलिखित रिक्त पद को भरा जाना है। विभाग: मेडिकल। कोटी / पद: क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। रिक्ति: 01 - UR (सामान्य कोटि)। केंद्र/राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कर्मचारी जो पुन नियुक्ति चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय के कार्मिक विभाग, आरक्षा सेल में रखे गए बॉक्स में दिनांक 11.12.2024 समय शाम 5 बजे तक या उससे पहले डालना होगा। दिनांक 11.12.2024 के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे किसी भी प्रश्न के लिए मोबाइल नंबर 7058612677 पर संपर्क करें। कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत अधिसूचना के लिए जाएं- https://cr.indianrailways.gov.in/view section.jsp?lang=0&id=0,6,1191,1196,1361,2424.

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), मध्य रेल, नागपुर

DE/378

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नंबर जेड- 14, हीरा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, एमपी नगर, भोपाल- 462011

सार्वजनिक सूचना - संरक्षित संपत्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी

[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा अचल आस्तियों की बिक्री हेतु यह ई-नीलामी बिक्री सूचना (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित अधोवर्णित समूह के संबंध में) डीएचएफएल तथा निम्नलिखित कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/ जमानतदार(रों) के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुसरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के तहत जारी की जा रही है।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/ जमानतदार(रों) को सूचना दी जाती है कि सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो भी है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी :

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/ सह-कर्जदारों/ जमानतदारों के नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	रवीन्द्र कुमार (कर्जदार), कमलेश बिजोलिया (सह-कर्जदार)/ ऋण खाता नंबर QZBHP00005040204	फ्लैट नंबर सी 5वीं मंजिल, श्री रामचंद्र हाइट्स, ब्लॉक ए, केएच नं. 113/2/7, गांव-नरेला शंकर, वार्ड नंबर 65, तहसील हुजूर, भोपाल- 462001.क्षेत्रफल 54.03 वर्ग मी.	रु. 16,23,710/- (नवंबर 23, 2024 तक)	रु. 18,50,000/- / रु. 1,85,000/-	दिसंबर 15, 2024 को दो 12:30 बजे से दो. 02:30 बजे तक	दिसंबर 30, 2024 को सु. 11:30 बजे से

ऑनलाइन नीलामी हमारी ई-नीलामी संस्था मेसर्स नेक्सएक्सेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (URL Link- https://disposalhub.com), पर संचालित होगी। बंधककर्ताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को दिसंबर 29, 2024 को शाम 04:00 बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा संरक्षित संपत्ति/यों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) जो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नंबर जेड- 14, हीरा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, एमपी नगर, भोपाल- 462011 में दिसंबर 29, 2024 तक दोप. 03:00 बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की इमेज (छायाप्रति) दिसंबर 29, 2024 तक शाम 04:00 बजे से पूर्व जमा करें। कृपया नोट करें कि संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहते हैं, तो वे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नंबर जेड- 14, हीरा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, एमपी नगर, भोपाल- 462011 में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को दिसंबर 29, 2024 को शाम 05:00 बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैड्यूल्ड बैंक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की भोपाल शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।

संपत्ति निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया आईसीआईसीआई बैंक कर्मचारी के फोन नंबर 9425815565 पर संपर्क करें।

कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसी 1. मेसर्स नेक्सएक्सन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 2. ऑगियो एसेट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 3. मैटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड, 4. फिनविन एस्टेट डील टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 5. गिरनारसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड 6. हेक्टा प्रॉप टेक प्राइवेट लिमिटेड, 7. अर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, 8. नोवेल एसेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 9. नोब्रोकर टेक्नोलॉजीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु संलग्न है।

प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट www.icicibank.com/n4p4s पर संपर्क करें।

तिथि : नवंबर 29, 2024
स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

जाहिर सूचना

दुकान क्र. - 07, स्थित इन्द्रा मार्केट नगर पालिका कार्यालय के नीचे, रायसेन के संबंध में

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण श्री श्याम कुमार गुप्ता, शकुन गुप्ता पत्नी स्व. श्री शिव कुमार गुप्ता, आशा गुप्ता पत्नी स्व. श्री रामकुमार गुप्ता, पौत्र शेखर गुप्ता, नीरज गुप्ता है। मेरे पक्षकारगण की माताजी / सासुजी /दादीजी श्रीमति ललिता गुप्ता पत्नी स्व.श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता के नाम से नगर पालिका, रायसेन की दुकान क्र.-07 इन्द्रा मार्केट रायसेन नगर पालिका कार्यालय के नीचे है जिसका क्षेत्रफल 10X8 = 80 वर्गफिट है जो कार्यालय नगर पालिका परिषद रायसेन (म.प्र.) द्वारा मेरे पक्षकारगण की माता/सासू / दादी श्रीमती ललिता गुप्ता के नाम पर आंवटित की गई है। जिसे वर्ष 2021 में स्वयं कूटरचित, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गलत तरीके से कृष्ण कुमार गुप्ता आत्मज स्व. श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता ने अपने नाम से करा ली है उक्त दुकान की चतुर्थ सीमाएँ निम्नानुसार है पूर्व में मेन रोड, पश्चिम में शैलेन्द्र प्रताप की दुकान, उत्तर में अमन शैक की दुकान, दक्षिण में रवि किराना दुकान व उपर नगर पालिका का कार्यालय स्थित है। उक्त दुकान क्र. - 07 श्रीमती ललिता गुप्ता के स्वर्गवास होने के उपरान्त से उनके संयुक्त परिवार की हो गई है जो मेरे पक्षकारगणों की आर्थिक सहायता से दुकान का फर्नीचर एवं समस्त सामग्री भरकर दुकान चलाई जा रही थी जो कुछ महिनों से बंद है। जिसमें मेरे पक्षकारगणों का समान अंश भाग पर अधिकार एवं स्वत्व व आधिपत्य निहित है। मेरे पक्षकारगण व दुकान के प्रोपराईटर के पिता स्व. श्री कैलाश चन्द गुप्ता है। उक्त दुकान का मेरे पक्षकारगण के परिवार में किसी भी प्रकार का बंटवारा नही हुआ है और ये अविभाजीत सम्पति है। उक्त दुकान में श्री कृष्ण कुमार गुप्ता संचालित करते थे, जबकि यह पूर्ण रुप से पैत्रीक सम्पति है। श्री कृष्ण कुमार गुप्ता अनुचित तरीके से लाभ लेकर बिना बंटवारे के दुकान का फर्नीचर, सामग्री बेचकर व खाली करने के नाम पर एक मोटी राशि लेकर मेरे पक्षकारगणों की सहमति व अनुमति के बिना हस्तान्तरण/ विक्रय कराने के प्रयास कर रहे हैं। उक्त दुकान संयुक्त परिवार की स्वत्व व अधिपत्य की सम्पति है, मेरे पक्षकारगणों की अनुमति, सहमति के बिना बंटवारा किये बगैर कोई भी व्यक्ति/संस्था क्रय, हस्तान्तरण, नामान्तरण, किराया, संव्यवहार न किया जावे यदि किया जाता है तो मेरे पक्षकारगण पर बंधनकारी नही होगा जो स्वतः शून्य होगा। इसलिए मेरे पक्षकारगण की ओर से जाहिर सूचना द्वारा सर्वसाधारण को अवगत कराया जाता है कि मेरे पक्षकारगण की सहमति, अनुमति के बिना कोई भी किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म द्वारा दुकान के फर्नीचर, दुकान का समान का सौदा, क्रय विक्रय अनुबंध पत्र, अन्तरण पत्र हस्तान्तरण पत्र किरायानामा पत्र, निष्पादित न करें, अन्यथा मेरे पक्षकारगण संव्यवहार करने वाले व्यक्ति, संस्था, फर्म के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है जिसमें होने वाले संपूर्ण हर्जे खर्चे की जवाबदारी संव्यवहारकर्ता की होगी।

चन्द्रशेखर मिश्रा अधिवक्ता
कार्यालयः कलेक्ट्रेट अधिवक्ता शेड, कलेक्टर कर्यालय, पुराना सचिवालय, भोपाल (म.प्र.) मो. 9203200292

2708